नागरिक

अच्छा नागरिक

[शांति और संकट काल में नागरिक के अधिकारों और कर्त्तव्यों का सरल-सुबोध रीति से परिचय कराने वाली पुस्तक]

सन्तराम वत्स्य

नेशनल पब्लिशिंग हाउस
नयी दिल्ली • जयपुर • इलाहाबाद

नेशनल पब्लिशिंग हाउस
(स्वत्वाधिकारी : के० एल० मलिक ऐंड संस प्रा० लि०)
२३, दरियागंज, नयी दिल्ली-११०००२

शाखाएं
चौड़ा रास्ता, जयपुर
३४, नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद-३

मूल्य : २.५०

स्वत्वाधिकारी के० एल० मलिक ऐंड संस प्रा० लि० के लिए नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली-११०००२ द्वारा प्रकाशित / तृतीय संस्करण : १९७९ / सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, मौजपुर, दिल्ली-११०१५३ में मुद्रित ।

दो शब्द

'नागरिक' राज्य की महत्त्वपूर्ण इकाई है। लोक-तंत्री राज्य में, जहां जनता द्वारा बनाई हुई, जनता की सरकार, जनता के लिए कार्य करती है, राज्य की सफलता पूर्ण रूप से उसके नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करती है।

मैंने प्रयत्न किया है कि नागरिकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों का सरल-सुबोध ढंग से विवेचन प्रस्तुत करूं, जिससे हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक बने।

और विशेष रूप से, आज के संकटकाल में, प्रत्येक नागरिक पर यह दायित्व आ पड़ा है कि वह तन, मन, धन द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पालन करके संकट का सामना करने के लिए सन्नद्ध हो जाए, और राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जुट जाए। इस पुस्तक में भी यह कर्त्तव्य-बोध कराने का यत्न किया गया है।

—लेखक

क्रम

१. अच्छा नागरिक ... ५
२. हमारे अधिकार ... १५
३. सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत ... २६
४. हमारे कर्त्तव्य ... ३६
५. अच्छा नागरिक कौन ? ... ५९
६. संकटकाल में अच्छे नागरिक के कर्त्तव्य ... ६३
७. विश्व-परिवार ... ७०

अच्छा नागरिक

नागरिक उन स्त्रियों अथवा पुरुषों को कहते हैं जो राज्य के चाहे किसी भी भाग में—नगर, कस्बे या गांव में—रहते हों, पर राज्य के भक्त हों। उन्हें राज्य द्वारा दिए जाने वाले राज-काज-संबंधी अधिकार प्राप्त हों। राज्य के प्रति भक्ति और राज्य द्वारा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति नागरिकता की पहली शर्तें हैं।

नागरिकों के राज्य के प्रति कुछ कर्त्तव्य होते हैं। अच्छा नागरिक आवश्यकता पड़ने पर राज्य के लिए अपना तन, मन और धन सभी कुछ दे देता है। वह राज्य की उन्नति में अपनी उन्नति, राज्य के मान में अपना सम्मान और राज्य पर आई विपत्ति को अपने ऊपर आई विपत्ति समझता है। सच तो यह है कि नागरिक राज्य की एक इकाई है, अंग है। नागरिकों के समुदाय से ही तो राज्य बनता है। अच्छा नागरिक राज्य के और अपने बीच अपनेपन का भाव देखता है। अच्छे नागरिक के भाव को स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में यों कह सकते हैं :

मैं सदेह भारत हूं।
सारा भारत मेरा शरीर है।
रासकुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सिर है।
मेरे बालों से गंगा बह रही है।
विंध्याचल मेरा कमरबंद है।
मैं संपूर्ण भारत हूं।
पूर्व और पश्चिम मेरी दो भुजाएं हैं।
जिनको फैलाकर मैं अपने देशवासियों को गले लगाता हूं।
हिंदुस्तान मेरे शरीर का ढांचा है।
और मेरी आत्मा सारे भारत की आत्मा है।
चलता हूं तो अनुभव करता हूं
कि तमाम हिंदुस्तान चल रहा है।
जब मैं बोलता हूं तो तमाम हिंदुस्तान बोलता है।

यह है भारत के आदर्श नागरिक की तस्वीर!

इस तस्वीर के साथ आप अपनी तस्वीर को मिलाकर देखिए। क्या आप भी ऐसा ही अनुभव करते हैं?

जब राज्य के प्रति इस प्रकार की ममता, अपनापन प्रतीत होने लगता है तो अच्छा नागरिक भगवान्

के अच्छे भक्त की तरह कह उठता है :

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर।
तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर॥

वास्तव में नागरिक के पास जो कुछ—तन, मन, धन होता है, वह राज्य का ही दिया हुआ होता है। आप जानना चाहेंगे कि कैसे ?

हमारा यह शरीर देश की इस मिट्टी से बना है। यह इस देश के अन्न-जल से पल-पुसकर बढ़ा है। एक-एक श्वास में देश की वायु है।

हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो संस्कार हैं, जो सद्गुण हैं, वे सब हमने अपने समाज से, देश से और राज्य से ग्रहण किए हैं।

और हमारे पास जो धन है वह कहां से आया ? वह हमने इसी राज्य से—इस राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं और अधिकारों के कारण पैदा किया है। खेती-बाड़ी से पैदा किया है तो वह धरती राज्य की थी, देश की थी। व्यापार से पैदा किया है तो भी राज्य के कारण। और श्रम से किया है तो भी राज्य के कारण।

जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर किस काबिल होता है ! उसके पास ज्ञान और संस्कार कहां

होते हैं ? वह अपने साथ धन भी नहीं लेकर आता।

देश के अन्न-जल से उसका शरीर बनता है; देश की सभ्यता और संस्कृति से वह ज्ञान और संस्कार ग्रहण करता है। देश में प्राप्त होनेवाले साधनों और सुविधाओं से वह धन कमाता है।

इसलिए हमारा तन, मन, धन देश का दिया हुआ है। वह देश के काम आना चाहिए। वह देश के लिए है। देश है, तो सब कुछ है। देश गया तो सब कुछ गया।

जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे; हमारे देश के बड़े-बड़े विद्वानों का भी दूसरे देशवासी उचित आदर-मान नहीं करते थे। कारण स्पष्ट है, हमारे देश का ही मान नहीं था, फिर हमारा कैसे होता ! देश के मान से ही देशवासियों का सम्मान होता है।

जब हम देश के लिए तन, मन और धन का त्याग करते हैं तो एक तरह से उसका लाभ भी हमें ही मिलता है। यह दो तरह से होता है। एक उदाहरण से इस बात को देखेंगे।

मां बीमार है। मातृभक्त बेटा मां का दुःख दूर करने के लिए वैद्य के पास जाता है। दवाई लाता है। सेवा करता है। रात को जागता है। अब तक मां

के हाथ का पका खाता था। मां बीमार है तो जैसा वैद्य कहते हैं, मां को पकाकर खिलाता-पिलाता है। दिन को भूख नहीं, रात को नींद नहीं है। कई रातें जागते हो गईं। भोजन के नाम पर कभी दो कौर मुंह में डाल लिए, कभी वह भी नहीं। दाढ़ी बढ़ गई है। कपड़े बदलने का भी ध्यान नहीं। उधर कई ज़रूरी काम करने को पड़े हैं। पर उसे तो एक ही धुन है। मां का दुःख नहीं देखा जाता। किसी तरह मां अच्छी-भली हो जाए तो मन में चैन आए।

कुछ ही दिनों में भोजन और आराम न मिलने से बेटा दुबला हो गया है। दवा-दारू में पैसे भी खर्च हो रहे हैं। मां बेटे को समझाती है कि कैसा तो तेरा मुंह हो गया है। बीमार मैं हूं और दुबला तू हो रहा है। इस तरह कैसे चलेगा! कुछ खा-पी ले और सो जा। कितनी रातें तुझे जागते हो गई हैं।

पर बेटा नहीं मानता, नहीं मानता। कहता है, अगर मैं सो जाऊं और तुम्हें दवा, पानी या किसी काम के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो? तुम पुकारो और मैं सोया होऊं? यह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा।

मां बेटे की मातृ-भक्ति देखकर गद्‌गद हो जाती है। उसे एक सपूत की माता होने का गर्व है। उसे लगता

है, इस पुत्र को जन्म देकर मेरा जन्म सकारथ हुआ।

मां को जब कष्ट होता है तो मातृ-भक्त बेटे को नींद-भूख नहीं रहती। जब देश पर, राज्य पर विपत्ति आती है तो अच्छे नागरिक को अपना सुख-चैन नहीं सूझता। ऐसी दृढ़ देशभक्ति, ऐसी कर्त्तव्य-भावना, ऐसा उत्कट राष्ट्र-प्रेम जिस देश के नागरिकों में होता है, वही देश शत्रुओं से अपनी सीमाओं की रक्षा कर पाता है। जब सीमाएं सुरक्षित होती हैं, देश में शांति होती है, तभी ज्ञान-विज्ञान फैलता है। तभी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार होता है। शक्तिशाली राज्य ही सम्मान और गौरव पाते हैं, उन्नति और विकास करते हैं।

देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देने से देश का संकट टलता है तो इससे अच्छे नागरिक को सुख मिलेगा। पर यह सुख उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपने सुख को स्वार्थ के छोटे-से घेरे में बंद नहीं कर रखा है। यह एक प्रकार का सुख हुआ।

मां का दुःख दूर करने में शरीर को जो भूख, नींद और थकान सहनी पड़ी, मन जो इतने दिन बेचैन रहा, दवा-दारू में पैसे जो खर्च हुए—मां का दुःख दूर हो गया तो सब सकारथ हो गया।

अब दूसरे प्रकार का लाभ देखिये : मां का रोग दूर हो गया है। कमज़ोरी भी दूर हो गयी है। वे घर के भीतर का सारा काम देखती हैं। बेटे के लिए बढ़िया-बढ़िया भोजन बनाती हैं। न-न करने पर एक रोटी अधिक खिलाती हैं। कहती हैं, 'ज़रा शीशे में अपना मुंह तो देख, मेरी चार दिन की बीमारी में तेरी कैसी सूरत हो गई है ? खाए-पिएगा नहीं, तो तगड़ा कैसे होगा !' मां बेटे की छोटी-बड़ी सभी सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। कहती हैं, 'दिन-भर का थका है, जल्दी सो जा।' और सुबह खुद तो जल्दी उठ जाती हैं, पर ऐसी कोशिश करती हैं कि बेटा थोड़ी देर और सो ले। चलती हैं तो धीरे-धीरे कि आहट से बेटे की नींद न खुल जाए। सुबह-सुबह राम-नाम लेती हैं तो भी धीरे-धीरे कि कहीं बेटा न जाग जाए।

मान लीजिए कि आप सबने राज्य पर संकट को टालने के लिए जो अपना तन, मन, धन अर्पण कर दिया, उससे देश का संकट एकदम टल गया। संकट की स्थिति समाप्त हो गई। शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ी। उनके बुरे इरादों को आपके सैनिकों ने अपने भारी बूटों के तले रौंद दिया। इससे आपके देश का

मान बढ़ा अर्थात् देश के नागरिकों का मान बढ़ा। इसका मतलब आपका मान बढ़ा। देश जीता, आप जीते। देश की सीमाएं सुरक्षित हुईं। इसका अर्थ है, आप सुरक्षित हुए।

बाहरी संकट टल गया। अब राज्य की सरकार—जनता की प्रतिनिधि लोकतंत्री सरकार—अपनी सारी शक्ति समाज की भलाई के कार्यों में लगाएगी, शिक्षा का विस्तार करेगी ताकि देश का कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। जगह-जगह अस्पताल खोलेगी ताकि कोई भी रोगी बिना दवाई के न रहे। दुधारू पशुओं की नस्ल को सुधारेगी ताकि देशवासियों को खूब दूध-घी खाने को मिले। सब्ज़ियों और फल की खेती को बढ़ावा देगी। सिंचाई का प्रबंध करेगी। गांव-गांव बिजली पहुंचाएगी। बेकारी को दूर करेगी। नये-नये रोज़गार चालू करेगी। रेलों और सड़कों, डाक और तार की व्यवस्था करेगी। अच्छी खाद, अच्छे बीज, अच्छे औज़ार किसानों को देगी।

जिन लोगों ने अपना जीवन देश पर बलिदान कर दिया, उनकी विधवाओं और बच्चों के लिए रोटी, कपड़ा और काम हमारी सरकार देगी।

सभी लोकतंत्री सरकारें जनता से जो कुछ लेती

हैं, उसे जनता के लिए खर्च कर देती हैं। नदियां जल नहीं पीतीं, वृक्ष फल नहीं खाते।

राज्य समुद्र की तरह है। देश-भर के नदी-नाले, पहाड़ों की बर्फ और बरसात का पानी समुद्र में पहुंच जाता है। पर समुद्र उसे अपने पास नहीं रखता। वह पानी बादल के रूप में फिर सारे देश के काम आता है। कल्याणकारी राज्य में भी यही होता है।

राज्य के प्रति जब आप अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं, तो बदले में राज्य भी आपको कई प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देता है। इन अधिकारों के मूल में यह बात—यह भावना मौजूद है कि राज्य के नागरिक अपनी उन्नति और विकास कर सकें। राज्य की सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, नागरिकों के मूल अधिकारों पर वह कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। राज्य की सरकार यदि कोई ऐसा कानून पास कर दे जिससे इन मूल अधिकारों पर कोई पाबंदी लगती हो तो न्यायालय में उस कानून के खिलाफ अपील की जा सकती है। और वहां उसे संविधान के खिलाफ करार दिलाकर रद्द कराया जा सकता है।

हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ है कि सरकारी कानूनों के खिलाफ लोगों ने न्यायालयों में अपीलें की

हैं। कई बार फैसला सरकार के विरुद्ध हुआ है। यह खूबी प्रजातंत्रात्मक शासन की ही है। इससे हमारे न्यायालयों में कितनी न्याय-भावना और निष्पक्षता है, यह भी साबित होता है।

अब हम देखेंगे कि राज्य ने नागरिकों को क्या-क्या अधिकार दे रखे हैं।

हमारे अधिकार

●

भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार ये हैं :

१. समानता का अधिकार
२. स्वतंत्रता का अधिकार
३. शोषण के विरुद्ध अधिकार
४. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
५. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
६. संपत्ति का अधिकार
७. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अब हम इन सात अधिकारों पर विचार करेंगे।

१. समानता का अधिकार

इसका मतलब यह है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। सरकार किसी के साथ भेद-भाव का बरताव नहीं कर सकती।

किसका धर्म क्या है, किसकी जात-पांत क्या है, कौन कहां का रहने वाला है, किसका खानदान कैसा है, नस्ल कैसी है, औरत है या मर्द—कानून को इन बातों से कोई मतलब नहीं।

कानून की नज़र में हिंदू, मुसलमान और ईसाई सब बराबर हैं। ब्राह्मण और हरिजन भी बराबर हैं। कोई काशी का रहने वाला हो या कलकत्ता का; कोई राजघराने का हो या मज़दूर घर का, कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, कोई ऊंच हो या नीच, कोई मराठा हो या पंजाबी या और किसी प्रदेश का, औरत या मर्द—सरकार के लिए कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं।

यह बात सरकारी नौकरियों और सरकारी ओहदों के बारे में भी सच है। भारत के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, कुल, नस्ल आदि के कारण सरकारी नौकरी आदि करने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि आम जगहों, जैसे—तालाब, कुआं, घाट, सड़क, होटल, दुकान, सिनेमा, सैरगाह का इस्तेमाल करने का सबको बराबर का हक है।

कानून छूत-अछूत के भेद-भाव को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई मनुष्य किसी को अछूत समझे और

इस कारण, उसे सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने में रुकावट डाले, तो उसे सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है।

२. स्वतंत्रता का अधिकार

भारत के प्रत्येक नागरिक को नीचे लिखी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं—

(क) अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता : भारत का प्रत्येक नागरिक बोलकर या लिखकर या जिस तरह चाहे अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि कोई किसी की इज़्ज़त पर कीचड़ उछाले या गाली-गलौज करे, अथवा बुरे कामों को करने के लिए उकसाए या राजकाज में रुकावट डाले।

(ख) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठे होना : भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वे शांतिपूर्वक व बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकें। जलूस निकाल सकें और सभाएं कर सकें। पर इस स्वतंत्रता की भी एक सीमा है। कोई गैर-कानूनी सभा या जलूस जिससे सरकारी व्यवस्था—अमन-चैन में रुकावट पड़ती हो या शांति भंग होती हो या जनता

के चरित्र पर किसी तरह का बुरा असर पड़ता हो तो ऐसी सभा या जलूस पर रोक लगाई जा सकती है।

(ग) **समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता** : भारत के नागरिक आजादी के साथ अपना संगठन बना सकते हैं। मज़दूर अपने संगठन बना सकते हैं। इसी तरह मालिक भी अपना संगठन कर सकते हैं। अपनी उचित मांगें मनवाने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। पर आम लोगों के जीवन को और सरकारी व्यवस्था—इंतज़ाम को बिगाड़ने वाले आंदोलन और संगठन पर रोक लगाई जा सकती है।

(घ) **भारत-भर में सब जगह बेरोक-टोक घूमने और आने-जाने की स्वतंत्रता** : भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे भारत-भर में सब जगह बेरोक-टोक आ-जा सकें।

(ङ) **भारत-भर में किसी भी जगह रहने और बस जाने की स्वतंत्रता**—भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वह चाहे जहां रहें और चाहे जहां बस जाए।

(च) **धन कमाने, रखने, खर्च करने और दूसरों को दे देने की स्वतंत्रता** : भारत के हर एक नागरिक

को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह संपत्ति पैदा कर सके, उसे अपने पास रख सके, खर्च कर दे या किसी को दे दे।

(छ) **किसी भी पेशे, कारोबार, व्यापार व काम को कर सकने की स्वतंत्रता :** भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे जिस पेशे, कारोबार, व्यापार व काम को अपनाए, पर इस स्वतंत्रता की भी अपनी हद है। सरकार जनता की भलाई के विचार से इस पर पाबंदी लगा सकती है। जैसे कि हर कोई शराब नहीं बना सकता। न ज़हर जैसी चीज़ें बेच सकता है। कुछ खास-खास कामों को करने के लिए, खास तरह की योग्यता भी ज़रूरी है। वैद्य, हकीम और डॉक्टर का काम वे ही लोग कर सकते हैं जिन्होंने विधिपूर्वक इसकी शिक्षा ली हो। मोटरगाड़ी वही चला सकता है जिसके पास चलाने का लाइसेंस हो।

इसके अतिरिक्त सरकार जनता की भलाई के लिए किसी काम को खुद करना चाहे तो आम लोगों पर उसके लिए पाबंदी लगा सकती है।

३. शोषण के विरुद्ध अधिकार

कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का शोषण न कर सके, हमारे कानून में इसकी व्यवस्था कर दी गई है।

'शोषण' क्या है, इसे ज़रा बारीकी से समझ लें। किसी की मर्ज़ी के बगैर, या किसी की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाकर, या ऐसी जगह, ऐसी हालत में और ऐसे वक्त काम करवाना जिससे काम करनेवाले की ज़िंदगी और सेहत को खतरा पैदा हो जाए, या काम की पूरी मज़दूरी न देकर काम करवाना शोषण है।

उदाहरण के तौर पर, अब सरकार या कोई ज़मींदार, सेठ-साहूकार किसी से बेगार नहीं ले सकता। बेगार का मतलब है कि काम करनेवाले की मर्ज़ी के बगैर, बिना पैसा दिए काम करवाना। चौदह वर्ष से कम उमर वाले बच्चों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। आदमियों को खरीदा-बेचा नहीं जा सकता। दिन-रात में निश्चित घंटों से अधिक समय तक काम नहीं कराया जा सकता। काम करने की जगह खतरों से खाली और सेहत के लिए ठीक होनी चाहिए।

४. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

इस अधिकार का मतलब यह है कि अपने विश्वास के अनुसार कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। उस धर्म के अनुसार पूजा-उपासना कर सकता है। अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। इस अधिकार के द्वारा धार्मिक संगठन बनाए जा सकते हैं। पर यदि किसी धार्मिक सम्प्रदाय के तौर-तरीके अमन-चैन के लिए खतरा पैदा करने वाले हों तो उन पर रोक लगाई जा सकती है।

५. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

भारत के नागरिकों का कोई भी ऐसा वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति है, उसे यह अधिकार है कि वह इनको कायम रख सके।

राज्य द्वारा चलाई जा रही या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश पाने से किसी को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर रोका नहीं जा सकता।

सब अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकें और उन्हें चला सकें।

राज्य सहायता देते समय, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उनसे कोई भेद-भाव नहीं कर सकता।

६. संपत्ति का अधिकार

कानून में भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वे संपत्ति पैदा करें, उस पर अपना मालिक का अधिकार रखें और खरीद-बेच सकें या चाहें तो किसी को दे दें।

७. कानूनी उपचारों का अधिकार

मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, उन्हें 'कानूनी उपचारों के अधिकार' कहते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को लिख देने भर से उनकी रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए संविधान में ऐसे उपाय लिख दिए गए हैं, जिनका उपयोग कर नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

ये उपचार इस प्रकार हैं—

(क) कैदी को न्यायालय में पेश करना : इसके अनुसार न्यायालय को अधिकार है कि वह कैदी को न्यायालय में पेश करने का हुक्म दे सकता है। मान

लीजिए कि सरकार ने किसी नागरिक को कैद कर रखा है। नागरिक समझता है कि मुझे गैर-कानूनी या अनुचित ढंग से जेल में बंद किया गया है। वह कैदी या उसका कोई संबंधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना-पत्र भेजता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। प्रार्थना-पत्र पर गौर करके न्यायालय चाहे तो सरकार को हुक्म दे सकता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। और अगर न्यायालय समझता है कि गिरफ्तारी उचित नहीं है तो उस व्यक्ति को छोड़ देने का हुक्म देता है।

(ख) परमादेश : अगर कोई व्यक्ति या संस्था अपने किसी कर्त्तव्य का पालन न कर रही हो तो न्यायालय उसे अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए आज्ञा दे सकता है।

(ग) प्रतिबंध और मनाही : अगर कोई न्यायालय अपनी सीमा से बाहर काम कर रहा हो या कानूनी तौर-तरीकों का ध्यान रखे बिना काम कर रहा हो तो उससे ऊपर का न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति गैर-कानूनी ढंग से कोई ओहदा हासिल कर लेता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। ऐसे

ही अगर कोई न्यायालय किसी मुकदमे की कार्रवाई में कुछ गलती कर रहा है तो बड़ा न्यायालय उस मुकदमे के कागज़-पत्रों को अपने पास मंगा सकता है। इन अधिकारों के कारण सरकार नागरिकों के अधिकारों पर पाबंदी नहीं लगा सकती और न्यायालय मुकदमों की सुनवाई और फैसले में बेकायदगी और अन्याय नहीं कर सकते।

८. मूल अधिकारों पर रोक

शांति के समय भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मूल अधिकारों का उपयोग कर सकता है। यदि राज्य उन पर किसी तरह की पाबंदी लगाए तो कानूनी उपायों द्वारा राज्य को ऐसा करने से रोका जा सकता है।

पर कुछ खास-खास हालतों में इन मूल अधिकारों पर रोक भी लगाई जा सकती है। ऐसी हालत में यदि राज्य द्वारा किसी मूल अधिकार पर रोक लगाई जाए तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब कि राष्ट्रपति ने संकट-कालीन स्थिति की घोषणा की हुई हो। इसका मतलब यह है कि देश पर संकट आया हुआ है।

जब देश पर शत्रुओं ने हमला कर रखा हो या देश के भीतर के लोगों ने विद्रोह कर रखा हो तभी संकटकाल की घोषणा होती है। जब देश की हालत ठीक हो जाती है तो संकटकाल की स्थिति के समाप्त हो जाने की घोषणा कर दी जाती है।

संकटकाल में नागरिकों के मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है और ऐसे कानून भी बनाए जा सकते हैं जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हों। नागरिक इन सबके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। पर ज्यों ही संकटकाल समाप्त होता है, अधिकारों पर से रोक हट जाती है और वैसे कानून समाप्त कराए जा सकते हैं।

सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत

भारत के संविधान में सरकारी नीति को रास्ता दिखाने वाले कुछ ऐसे सिद्धांतों का वर्णन है, जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। किसी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, वह जब भी कोई नया कानून-कायदा बनाएगी, उसे इन सिद्धांतों का ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं, इन सिद्धांतों में जिस उद्देश्य को प्राप्त करने का ज़िक्र है, उसकी ओर बढ़ना होगा।

आप जानते होंगे कि समुद्री जहाज़ का कप्तान अपने पास दिशा-सूचक यंत्र रखता है। इसे कुतुबनुमा भी कहते हैं। समुद्री जहाज़ में बैठे जहां तक नज़र जाती है, पानी ही पानी दिखाई देता है। दिन-रात यात्रा करनी पड़ती है। कौन-सी दिशा किधर है, कुछ पता नहीं चलता। यह दिशा-सूचक यंत्र ऐसे कठिन समय में सही दिशा बताकर जहाज़ को रास्ता भूलने से बचाता है।

विनोबा ने एक जगह लिखा है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न होना चाहिये। वह

आज नहीं मिलता तो कल मिलेगा। देर-सवेर मिलेगा। पर दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली यह कि हमारा लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल न होने पाए और दूसरी यह कि हमारे कदम लक्ष्य की ओर ही बढ़ें। उससे उलटी दिशा की ओर नहीं अर्थात् हम रास्ते से भटक न जाएं।

बस इसीलिए इन सिद्धांतों की बात संविधान में लिख दी गई है। किसी भी पार्टी की सरकार बने—कांग्रेस की, जनसंघ की या समाजवादियों की, उसे कानून-कायदे बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। ये सिद्धांत सरकार के लिए ध्रुव तारे का काम देंगे। दिशा-सूचक यंत्र का काम देंगे। रास्ता दिखाने वाले का काम देंगे।

अब देखें ये सिद्धांत क्या हैं ?

भारत के लोकतंत्र गणराज्य का आदर्श क्या है, अर्थात् हम भारत के नागरिक सामूहिक तौर पर क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हम अपने देश की कैसी तस्वीर बनाना चाहते हैं ? हमारे सपने और इरादे क्या हैं ?

हमारे देश के चोटी के नेताओं और विद्वानों ने दुनिया-भर के संविधान का निचोड़—अच्छी-अच्छी

बातें अपने संविधान में शामिल कर ली हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में, हमारे संविधान का सारा सार मौजूद है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान का मूल मंत्र है। यह वह नींव है, जिस पर सारा संविधान रचा गया है। प्रस्तावना में लिखा है :

भारतीय गणराज्य

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य बनाने
तथा उसके सब नागरिकों को
न्याय : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक
स्वतंत्रता : विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और पूजा की
समता : स्थिति की और विचार की
प्राप्त कराने तथा उन सब में
बंधुत्व : जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित रहे, का वर्धन करने के हेतु इस संविधान सभा में आज, इस संविधान को स्वीकार करते हैं, कानून का रूप देते हैं और अपने को इस संविधान के अर्पण करते हैं।

प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे राष्ट्र का आदर्श क्या है। पर इस आदर्श को प्राप्त करना आसान काम नहीं है।

राजकीय नीति के जो निर्देशक सिद्धांत संविधान में बताए गए हैं, उन्हें मोटे तौर पर चार भागों में बांटा जा सकता है :

१. आर्थिक नीति के बारे में सिद्धांत।
२. सामाजिक और शिक्षा विषयक नीति के बारे में सिद्धांत
३. शासन के बारे में सिद्धांत
४. विश्वशांति और सुरक्षा के बारे में सिद्धांत

अब इन पर क्रमशः विचार करेंगे।

१. आर्थिक नीति के बारे में सिद्धांत

१. सब नागरिकों को यह अधिकार है कि वे आजीविका कमाने के साधन प्राप्त कर सकें।

२. आर्थिक उत्पादन, पैदावार के साधनों की मलकियत और कब्ज़ा इस प्रकार का हो, जिससे बहुत-से लोगों को लाभ पहुंचे और आम जनता की भलाई के लिए उन साधनों का उपयोग हो सके।

३. आर्थिक संगठन इस प्रकार का न हो कि

उससे सम्पत्ति या आर्थिक उत्पादन के साधन थोड़े-से लोगों के पास इकट्ठे हो जाएं।

४. स्त्री-पुरुष सबको बराबर के काम के लिए बराबर वेतन दिया जाए।

५. मज़दूरी करने वाले स्त्री-पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालक-बालिकाओं की सुकुमार अवस्था का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न किया जा सके।

६. किसी नागरिक को रुपये की ज़रूरत से मजबूर होकर कोई ऐसा काम न करना पड़े जो उसकी आयु तथा सामर्थ्य के अनुरूप न हो।

७. छोटी अवस्था के बच्चों को शोषण तथा नैतिक पतन से बचाया जा सके।

८. हर एक नागरिक को अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके, काम प्राप्त कर सके और बेकारी, बुढ़ापा तथा बीमारी या अपंग होने की हालत में सरकारी सहायता प्राप्त कर सके।

९. प्रत्येक मज़दूर को इतनी मज़दूरी ज़रूर मिले कि जिससे वह अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके।

१०. सरकार को ऐसा इंतज़ाम भी करना चाहिए

जिससे मज़दूरों की काम करने की हालत अच्छी हो। उनके काम करने की जगहें खतरे से खाली हों।

११. लोगों को अच्छा ताकत देने वाला भोजन मिल सके, उनकी सेहत अच्छी बनी रहे और उनका रहन-सहन अच्छा हो—इसका इंतज़ाम करना भी राज्य का कर्त्तव्य है।

१२. छोटे-छोटे घरेलू धंधों को बढ़ावा देना।

१३. खेती-बाड़ी और पशुओं को पालने के नये-नये तरीके अपनाना, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारना तथा खेती के काम में नये-नये औज़ारों को काम में लाना।

सरकार धीरे-धीरे ऊपर बताए लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। पर इसमें अभी समय लगेगा। ये सब सिद्धांत जो संविधान में लिख दिए गए हैं, बड़े ही उपयोगी हैं।

२. सामाजिक और शिक्षा की नीति के बारे में सिद्धांत

१. १४ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को बिना फीस लिए शिक्षा देना। इसके अनुसार बच्चों को स्कूल

भेजना ज़रूरी होगा । उन्हें अनपढ़ नहीं रखा जा सकेगा ।

२. जनता का जो हिस्सा पढ़ाई-लिखाई में पिछड़ा हुआ है अर्थात् अछूत समझी जाने वाली जातियां और पिछड़े हुए इलाके की जातियां—उनकी पढ़ाई-लिखाई, और उनकी हालत सुधारने के लिए सरकार खास तौर पर कोशिश करेगी ।

३. जनता की सेहत बनाने और उसे बुराइयों की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए नशीली चीज़ों के प्रयोग को रोकने के लिए—खास तौर पर शराब, अफीम, भांग (जोकि सेहत को खराब करने के साथ-साथ, आदमी के दिमाग को भी खराब करते हैं) इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएगी ।

४. पुराने ज़माने की इमारतों तथा दूसरी चीज़ों तथा कला और कारीगरी की चीज़ों को नष्ट होने से बचाना भी सरकार का कर्त्तव्य है ।

३. शासन चलाने की नीति के बारे में सिद्धांत

१. ग्राम-पंचायतों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोग अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने और

अपने यहां के छोटे-मोटे झगड़ों और कामों का निपटारा करना सीखें।

२. राज्य के न्याय-विभाग और हकूमत चलाने वाले विभागों को अलग-अलग रखना, जिससे अच्छा न्याय और अच्छा शासन मिल सके।

४. सभी देशों में शांति और सुरक्षा की नीति के बारे में सिद्धांत

हमारे संविधान में केवल देश के भीतरी मामलों के बारे में ही नहीं बताया गया है। दूसरे देशों के साथ हमारे देश का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसपर भी प्रकाश डाला गया है।

१. दुनिया की शांति और सुरक्षा के कामों को बढ़ावा देना।

२. देशों के बीच न्याय और सम्मान वाले संबंधों को बनाना।

३. देशों के आपसी संबंधों में, देशों के बीच जो कानून-कायदे लागू होते हैं, तथा जो आपसी समझौते होते हैं, उनका आदर करना।

४. देशों के बीच जो झगड़े पैदा होते हैं, उनका निबटारा पंच-फैसले द्वारा करने को बढ़ावा देना।

ऊपर भारतीय संविधान के, सरकार की नीति को स्पष्ट करने वाले सिद्धांतों का परिचय कराया गया है। ये सिद्धांत हर दृष्टि से आदर्श रूप हैं। पर सिद्धांतों को जब तक व्यवहार में न अपनाया जाए, उनके लिखे रहने भर से कुछ बनता नहीं। वे हमारे इरादों के बारे में बताते ज़रूर हैं; पर इरादों को जब तक काम का रूप न दिया जाए, वे बेजान ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि कार्य को रूप कैसे दिया जाए ?

पिछले वर्षों में सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे इन सिद्धांतों को अमल में लाया गया है। पर अभी भी बेकारी, गरीबी, खुराक की कमी, शिक्षा की कमी और दूसरी अनेक बुराइयां मौजूद हैं। इसके लिए जनता को जागना होगा और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी होगी। साथ ही खेती की और कारखानों की पैदावार को बढ़ाना होगा। फल, सब्ज़ियां और दूध-घी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों, इसके लिए किसानों को मेहनत करनी होगी। कारखानों में काम करने वालों को बढ़िया और ज़्यादा माल तैयार करना होगा। ज्यों-ज्यों देश की पैदावार बढ़ेगी, लोगों का रहन-सहन ऊंचा होगा। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा,

अच्छा मकान और अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके लिए भारत के हरएक नागरिक को, वह चाहे जहां भी और जो भी काम कर रहा हो, अपने कर्त्तव्य का पालन तन, मन और धन से करना होगा। उसे यह समझ-कर काम करना होगा कि मेरा काम मेरे ही लिए नहीं है, वह सारे देश के लिए है।

हमारे कर्त्तव्य

●

एक नेता ने कहा था :

"स्वतंत्रता की लड़ाई अधिकार की लड़ाई थी। वह लड़ाई पिछली पीढ़ी ने लड़ी। अब हमें कर्त्तव्य की लड़ाई लड़नी है।"

अधिकार और कर्त्तव्य एक सिक्के के दो पहलुओं जैसे हैं। वे आपस में जुड़े हुए हैं। वे दोनों एकसाथ रहते हैं। एक के बिना दूसरे की गति नहीं। राज्य ने हमें अनेक अधिकार, सुविधाएं दी हैं। इन सुविधाओं से हम अपनी उन्नति करते हैं। तो राज्य के प्रति भी हमारा कुछ कर्त्तव्य है। वह कर्त्तव्य क्या है, इसकी स्पष्ट और पूरी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। तभी तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकेंगे।

कर्त्तव्यों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है—

१. नैतिक कर्त्तव्य

२. कानूनी कर्त्तव्य

नैतिक कर्त्तव्य

नैतिक कर्त्तव्यों में वे हैं जिनका पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है। इन कर्त्तव्यों के पालन से हमारा निजी और समूचे मानव-समाज का हित होता है। पर यदि कोई नागरिक इन कर्त्तव्यों का पालन न करे तो उसे कानून के अनुसार कोई दंड नहीं दिया जा सकता।

इन कर्त्तव्यों में किसी दीन-दुखी की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, भूखे को भोजन देना, किसी की निंदा न करना, किसी का बुरा न सोचना आदि कार्य गिनाए जा सकते हैं।

नैतिक कर्त्तव्यों के बारे में साररूप में यों कह सकते हैं कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। और जैसा व्यवहार हम दूसरों से नहीं चाहते, दूसरों के साथ भी हम वैसा व्यवहार न करें।

कानूनी कर्त्तव्य

कानूनी कर्त्तव्य उन्हें कहते हैं जिनका पालन कराने के लिए सरकार नागरिकों को मजबूर कर सकती है।

प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन या जायदाद को हानि न पहुंचाए। चोरी न करे, सरकार द्वारा निश्चित किए गए टैक्सों को सचाई के साथ दे।

ये और इसी तरह के अनेक कानूनी कर्त्तव्य हैं। इनका पालन न करने पर सरकार दण्ड दे सकती है। इसीलिए इन्हें कानूनी कर्त्तव्य कहा है।

अच्छे नागरिक नैतिक और कानूनी दोनों तरह के कर्त्तव्यों का पालन करते हैं।

कर्त्तव्यों का दायरा बहुत बड़ा है। अपने से लेकर संसार-भर तक मनुष्य के कर्त्तव्यों का दायरा है। अपने-आप से शुरू करके इस दायरे को बढ़ाते जाना है।

सबसे पहले अपने प्रति ही हमारे कुछ कर्त्तव्य हैं। इसके बाद परिवार, ग्राम, प्रदेश और देश के प्रति हमारे अनेक कर्त्तव्य हैं। उससे भी आगे समूचे मानव-समाज के प्रति हमारे कुछ कर्त्तव्य हैं।

कर्त्तव्यों के संबंध में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है :

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्।
ग्रामं जनपदस्यार्थे,.....

इसका अर्थ है—कुल के लाभ के लिए एक व्यक्ति

के लाभ को छोड़ देना चाहिये। और गांव-भर का लाभ होता हो और कुल के लाभ को छोड़ना पड़ता हो तो बिना झिझक छोड़ देना चाहिये। इसी तरह इलाके-भर का लाभ होता हो तो गांव के लाभ को छोड़ देना चाहिये।

यह दायरा इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, और अगर समूचे मानव-समाज के लाभ के लिए उससे छोटे लाभों को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना होगा। यह एक ऐसी युक्ति है जो दो कर्त्तव्यों में से एक का चुनाव करने का प्रश्न आने पर, फैसला करने में हमारी मदद करती है।

अब हम सबसे पहले यह देखेंगे कि आखिर हमारे अपने प्रति क्या-क्या कर्त्तव्य हैं।

१. अपने प्रति कर्त्तव्य

अपने को तंदुरुस्त रखना हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है; क्योंकि जिस व्यक्ति की तंदुरुस्ती ही ठीक नहीं, वह किसी भी कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकता। कहा भी है कि—

शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।

अर्थात् धर्मसाधन—कर्त्तव्य-पालन—में सबसे पहला स्थान शरीर का है।

इसके बाद, अपने को सुशिक्षित करना हमारा दूसरा कर्त्तव्य है। 'सुशिक्षित' का अर्थ स्कूल में पढ़ा-लिखा होना ही नहीं है। स्कूल में बिना पढ़े भी आदमी सुशिक्षित हो सकता है। हमें अपने ज्ञान को सदा बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति से तथा अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है।

इसी प्रकार अनेक दूसरे अच्छे गुणों—मेहनत, सचाई, ईमानदारी और साहस को अपनाकर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। समाज की इकाई व्यक्ति ही तो है। जो स्थान शरीर के अंगों का है, वही स्थान समाज या राष्ट्र में व्यक्तियों का है। जिस राष्ट्र के व्यक्ति स्वस्थ, सुशिक्षित, मेहनती, सच्चे, ईमानदार और साहसी होंगे, वह राष्ट्र भी शक्तिशाली, सम्पत्ति-शाली होगा और ज्ञान-विज्ञान में उन्नति करेगा।

२. परिवार के प्रति कर्त्तव्य

मनुष्य सबसे पहला पाठ अपने परिवार में ही पढ़ता है। परिवार राष्ट्र का सबसे छोटा संगठन है। परिवार में मनुष्य दूसरों के लिए कुछ करता है, और बदले में दूसरों से कुछ पाता भी है। बस, यहीं से कर्त्तव्य और अधिकार की शिक्षा शुरू हो जाती है।

जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आप अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। और जो कुछ पा रहे होते हैं तो वे अधिकार होते हैं। जब तक कर्त्तव्य और अधिकार में ठीक ताल-मेल बना रहता है, तब तक गाड़ी ठीक चलती है। गड़बड़ तब होती है, जब कोई परिवार के लिए कुछ करता तो नहीं पर पाना बहुत कुछ चाहता है। परिवार की सुख-शांति के लिए यह ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और सबका उचित हिस्सा दे देने के बाद जो बचे उसे लें।

माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी और बच्चे सबके प्रति हमारा कुछ न कुछ कर्त्तव्य है। उसका हमें ठीक ढंग से पालन करना चाहिये।

३. पास-पड़ोस के प्रति कर्त्तव्य

हम किसी गांव, कस्बे या नगर में रहते हैं। इसलिए पास-पड़ोस या नगर के लोगों के प्रति भी हमारे कुछ कर्त्तव्य हैं। वास्तव में जिस प्रकार हम अपनी और अपने परिवार की हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें ग्राम या नगर का भी ध्यान रखना चाहिए।

हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे

हमारे गांव या नगर के लोगों को कष्ट हो। इसके अलावा गांव या नगर पर कोई कष्ट आए ; जैसे—आग लगना, बीमारी फैलना, बाढ़ आना, तो ऐसे समय में हमें सबसे आगे बढ़कर खतरे को रोकना चाहिए। जैसे बहादुर सैनिक लड़ाई के मोर्चे पर सबसे आगे रहते हैं, वैसे ही हमें भी कर्त्तव्य-पालन का मौका मिलने पर सबसे आगे रहना चाहिए।

४. राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य

राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यों का ब्यौरेवार विचार करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रख लेना ठीक होगा :

प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे राष्ट्र की स्वतंत्रता, सम्मान को धक्का पहुंचे, राष्ट्र की शक्ति में कमी आए। बस, यदि हम इन तीनों बातों—स्वतंत्रता, सम्मान और शक्ति—को ध्यान में रखेंगे तो राष्ट्र के प्रति हमें अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में कभी भी भ्रम नहीं होगा।

अब राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यों पर सिलसिलेवार विचार करेंगे।

१. देशभक्ति

प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र, अपने देश का भक्त हो। राष्ट्र-भक्ति के कारण मनुष्य के अनेक कर्त्तव्य हो जाते हैं। वह अपनी सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करता है। सरकारी कर्मचारियों को उनके कामों में आवश्यक सहयोग देता है। देश पर बाहरी या भीतरी किसी भी प्रकार का संकट आने पर, देश की रक्षा के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है।

सरकार देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर तरह-तरह के काम कर रही है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम इन योजनाओं को पूरा करने में पूरी-पूरी मदद करें। सबसे पहले शिक्षा को ही लें। सरकार की योजना है कि देश में कोई भी अनपढ़ न रहे। स्कूल जाने लायक उमर वाला एक भी बच्चा ऐसा न हो जो पढ़े बिना रहे। जो लोग बचपन में नहीं पढ़ सके हैं, सरकार उन्हें भी पढ़ाना चाहती है। ऐसे सयाने लोगों के लिए रात को पढ़ाने का इंतज़ाम किया गया है। सभी बड़े शहरों में समाज-शिक्षा के नाम से यह काम हो रहा है। गांवों में पढ़े-लिखे लोगों को चाहिए

कि वे सेवा-भाव से अपने-अपने गांव के सयाने लोगों को पढ़ाने का काम अपने हाथ में लें। यह ज्ञान-दान का यज्ञ है। इसे नेत्र-दान-यज्ञ भी कह सकते हैं; क्योंकि ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख होती है। किसी विद्वान ने कहा है कि मनुष्य को रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, पर मूर्ख को तो न दिन में दिखाई देता है और न रात में। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जो पढ़े-लिखे नहीं हैं वे सब मूर्ख हैं। ऐसे सयाने लोगों में पढ़े-लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार लोग आपको मिल जाएंगे। उन्होंने जीवन के अनुभव से, सत्पुरुषों की संगति से बहुत कुछ सीखा होता है। पर आज तक मनुष्य जाति ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह सब पुस्तकों में भरा पड़ा है। यह अनमोल खज़ाना हमें विरासत में मिला है। पर इसकी चाभी तो उन्हीं लोगों के पास है, जो पढ़े-लिखे हैं। जो पढ़े-लिखे नहीं, वे इस खज़ाने को कैसे खोल सकते हैं! इसलिए स्वयं पढ़ना, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें पढ़ाना, जो पढ़ने योग्य उमर वाले हैं उन्हें पढ़ने भेजना हम सबका कर्त्तव्य है। इस काम में हम सरकार की मदद—अर्थात् अपनी मदद आप कर सकते हैं।

अब खेती-बाड़ी की बात को लें। देश में अन्न

की कमी है। हर साल हम लाखों मन अनाज दूसरे देशों से मंगाकर गुज़ारा कर रहे हैं। अन्न की कमी के कई कारण हैं—सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारे किसान भाई अभी तक भी पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं। वही घटिया बीज, घटिया हल और दूसरे औज़ार, खाद और सिंचाई की कमी, वर्षा का समय पर न होना, पशु-पक्षियों, चूहों आदि से फसलों की बर्बादी।

सरकार बढ़िया बीज देकर, गहरी जुताई करने वाले हलों का प्रचार करके, कारखाने की खाद का इस्तेमाल तथा देशी खाद को बढ़िया ढंग से तैयार करने का तरीका सिखाकर पैदावार बढ़ाना चाहती है। पर यदि किसान भाई इस काम में सरकार की बातों को न मानें तो सरकार क्या करे!

अब सरकारी आदमियों की मदद करने की बात को लीजिए। कहीं झगड़ा होता है। उसमें कोई बेकसूर मारा जाता है। पुलिस आकर छान-बीन करती है। पर मौके पर हाज़िर लोगों में से कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। अब पुलिस किसको पकड़े? किसका चालान करे? कचहरी में गवाही के बगैर ठीक फैसला कैसे हो?

चोरों, डाकुओं और बदमाशों को पकड़ना पुलिस का काम है। पर यदि जनता पुलिस का साथ न दे तो यह काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्त्तव्य को पहचानने वाले नागरिक इन कामों में और इस तरह के दूसरे कामों में सरकार की मदद करते हैं।

एक दुकानदार मिलावट वाली चीज़ें बेचता है। सरकारी कर्मचारी आकर उसके सामान के नमूने मांगता है। पास-पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसे छोड़ देने के लिए कहते हैं। यह कितनी बुरी बात है! मिलावट करने वाला अपने फायदे के लिए दूसरों की सेहत, यहां तक कि ज़िंदगी तक को खतरा पहुंचाता है और लोग चाहते हैं कि वह पकड़ा न जाए।

प्रत्येक अच्छे नागरिक का कर्त्तव्य है कि दूध-घी, खाने-पीने की चीज़ों और दवाइयों आदि में मिलावट करने वालों का पता लगने पर सरकार को सूचित करे।

कुछ वर्ष पूर्व जब कश्मीर में पाकिस्तानी घुस-पैठिए आए तो इसकी सूचना सबसे पहले एक गूजर ने सरकार को दी। कितना बड़ा काम उस भाई ने किया! सरकार समय पर सावधान हो गई और

दुश्मन की सोची योजना बेकार हो गई। यह है सच्ची देशभक्ति, यह है सच्ची नागरिकता ! सच्चा नागरिक देश पर आए संकट को अपने ऊपर आया संकट समझता है।

हमारे बहादुर सिपाही मोर्चे पर दुश्मन से जूझ रहे हैं। वे दुनिया-भर की मुसीबतें उठाकर भी देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए शत्रु से लोहा ले रहे हैं। उनके लिए बढ़िया से बढ़िया हथियार चाहियें। हवाई जहाज़, टैंक, तोपें और गोला-बारूद चाहिये। यह चीज़ें हमें दूसरे देशों से भी खरीदनी पड़ती हैं। दूसरे देशों में हमारे देश के नोट तो चलते नहीं। उन्हें चीज़ों के मूल्य का भुगतान सोने के रूप में करना पड़ता है। अब सरकार को सोना चाहिये। सोना जनता के पास है। अब देखना है कि जनता कितनी देशभक्त है। इस आड़े समय में सोना सरकार के पास पहुंच जाना चाहिये, जिससे वह ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। यह हमारी ज़िंदगी और मौत का प्रश्न है। यह हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रश्न है। यह हमारे उन बहादुर जवानों की भी ज़िंदगी-मौत का प्रश्न है। उनमें दिलेरी की कमी नहीं है। उनके निशाने भी अचूक हैं। वे लड़ाई के दांव-पेच भी खूब जानते हैं।

पर हथियार का काम तो हथियार से ही चलेगा। ऐसे नाज़ुक वक्त पर सोने के मोह में यदि हम इसे गले लगाए रखें या फिर दूसरे लालच में इसको ताले में बंद करके पहरा देते रहें और हमारे जवान मोर्चे पर दुश्मन के बढ़िया हथियारों के मुकाबले में घटिया हथियारों से लड़ते रहें तो क्या हमारे लिए यह शोभा की बात है? क्या इन सपूतों की जान से प्यारी भी और कोई चीज़ हो सकती है? देश है तो सब कुछ है। देश रहेगा, सम्मान रहेगा और स्वतंत्रता रहेगी तो हम सब कुछ पैदा कर लेंगे।

अब फौज में भर्ती होने की बात को लीजिए। प्रत्येक युवक का कर्त्तव्य है कि वह आवश्यकता पड़ने पर फौज में भर्ती होने के लिए तैयार रहे। फौज, पुलिस, गृहरक्षक सेना—जहां भी ज़रूरत हो, हम जाने को तैयार रहें।

२. सरकारी कानून-कायदों को मानना

अच्छा नागरिक सरकारी कानूनों का पूरी तरह पालन करता है। और सच तो यह है कि जितने कानून बनते हैं, सब जनता की इच्छा से बनते हैं। आप पूछेंगे कि यह कैसे?

बात यह है कि हमारे देश में लोकतंत्री सरकार

है। लोकतंत्री सरकार में कानून बनाने वाले लोग जनता में से चुने हुए होते हैं। इसलिए वे हमारे प्रतिनिधि होते हैं। हमने अपनी ओर से उन्हें वह अधिकार दिया हुआ होता है। फिर भी अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, जिसे जनता नापसंद करे तो बहुमत के आधार पर उस कानून को रद्द कराया जा सकता है। पर जब तक कानून लागू है, उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

३. टैक्सों की अदायगी

यह तो आप जानते ही हैं कि सरकार को देश की उन्नति, जनता के कल्याण और फौज-पुलिस तथा दूसरे सैंकड़ों कामों के लिए धन की आवश्यकता होती है। सरकार यह धन तरह-तरह के टैक्स लगाकर वसूल करती है। किस चीज़ पर टैक्स लिया जाए और कितना टैक्स लिया जाए, इस बात का फैसला वे ही लोग करते हैं, जिन्हें हमने चुनकर—वोट देकर भेजा होता है।

हमारा कर्त्तव्य है कि जो भी टैक्स देने की ज़िम्मेदारी हम पर हो, उसे हम ईमानदारी से दें। कुछ लोग पूरी ईमानदारी से टैक्स नहीं देते। सरकार को झूठा हिसाब बताकर तरह-तरह के टैक्स की चोरी

करते हैं। यह कानूनी तौर पर अपराध है। ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो सारी कसर निकल जाती है। पिछले वर्षों बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े-बड़े नगरों में काला धन छिपाने वाले व्यापारियों के यहां छापे मारकर सरकार ने लाखों रुपये की संपत्ति ज़ब्त कर ली। इस तरह पैसा भी गया और इज़्ज़त भी। जेल और जुर्माना होगा, वह अलग रहा।

कुछ लोग जो सरकार को ईमानदारी से टैक्स नहीं देना चाहते, अपने आपको और दूसरों को धोखा देने के लिए कहते फिरते हैं कि सरकार को टैक्स क्यों दें—सरकार कुछ करती-धरती तो है नहीं। उनका कहना है कि सरकार जनता के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, सारा पैसा फिज़ूलखर्ची में जाता है, इसलिए सरकार को टैक्स देने को ज़रूरत नहीं।

एक कहानी सुनाता हूं। एक बार शरीर के सारे अंगों ने सभा की। हाथ, पैर, आंख, कान, जीभ, दांत—सभी उस सभा में आए। विचार इस बात पर होना था कि पेट खाता बहुत है, कमाता कुछ नहीं। पैर दिन-भर चलते हैं, हाथ दिन-भर काम करते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ बोलती है और दांत

चबाते हैं। पर यह पापी पेट ! कमाकर लाए जाओ और इसे खिलाए जाओ। लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म। जो कुछ डालो, सब कुछ स्वाहा। मज़ा यह कि दो-चार घंटे बाद फिर भूखे के भूखे। हम सब मेहनत करते-करते थक जाते हैं पर यह खाते-खाते नहीं थकता। इस पेट का पेट नहीं भरता।

तो फैसला हुआ कि कल से मुकम्मिल हड़ताल और भूखहड़ताल अपने-आप हो जाएगी।

पैरों ने कहा कि कल से हम एक पैर भी चलने के नहीं। हाथों ने कहा कि कल से हम भी अपने हथ-कंडे दिखाएंगे। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। आंखों ने आंखें मटका कर कहा—हम भी कल से पलकों के दरवाज़े बंद करके पड़ी रहेंगी। कान भी कान खुजलाते हुए बोले कि हम भी कल से किसी बात पर कान धरने के नहीं।

जीभ ने हाथ भर लंबी जीभ निकालकर कहा—बोल-चाल बंद। भला दांत ही क्यों किसी से पीछे रहते। वे भी दांत पीसने के बाद दांत दिखाकर बोले—कल से हम भी तिनका तोड़ने के नहीं।

यों बहुमत से नहीं सर्वसम्मति से मुकम्मिल हड़-ताल का फैसला हुआ और पेट को ज़बरदस्ती भूख-

हड़ताल करनी पड़ी।

एक दिन गया, दो दिन गए, तीसरा दिन आ गया। पेट में खासी खलबली मची हुई थी। पर हालत हड़तालियों की भी अच्छी नहीं थी। हाथ-पैरों को तो जैसे लकवा मार गया था। हिलाये नहीं हिलते थे। आंखों ने आंख उठाकर, झांककर देखना चाहा तो पलकों के दरवाज़ों ने खुलने से इंकार कर दिया है। कानों ने कान लगाकर सुनना चाहा कि क्या काना-फूसी हो रही है पर कुछ भी सुनाई न दिया। अब जीभ की भी सुन लीजिए—वह सूखे मुंह में से वैसे ही बाहर को लटक आई जैसे मरी मछली पानी के ऊपर तैर जाती है। दांतों ने खीसें निपोर दीं। सब का हाल बेहाल। किसी से कुछ करते न बने। किसी से कुछ कहते-सुनते न बने। चले थे हड़ताल करने पर दो दिन में ही हड़कंप मच गया। चौबे छब्बे बनने चले थे, दूबे रह गए। क्या करें, कहां जाएं, किसके आगे रोएं। सभी के होश-हवास गुम हो गए।

हाथों ने बहुतेरे हाथ मारे और पैरों ने बहुतेरे पैर पटके, आंखें शर्म के मारे झुक गईं। कानों ने कान पकड़े। जीभ उल्टी होकर तालू से जा लगी, दांत बाहर निकल आए। दूसरी तरफ पेट पीठ से जा

लगा था और उस की भी हालत खराब थी।

तब जाकर अकल आई। पता नहीं इस अकल की भी क्या आदत है! हमेशा देर से आती है। जब बात बिगड़ जाती है, तब अकल ठिकाने पर आती है। सच तो यह है कि अकड़ और अकल में पुरानी लड़ाई है। इसलिए जब तक अकड़ नहीं जाती, अकल भी नहीं आती। तो उसने सबको बिना शर्त अपना-अपना काम शुरू करने को कहा। उसने उनको समझा दिया कि यह पेट—जिसे तुम कोस रहे हो, यह अपने पास तो कुछ भी नहीं रखता। जो कुछ पाता है, शक्ति के रूप में तुम्हें ही लौटा देता है। यह तो तुम्हारा सेवक है। हां, इस पर नज़र रखने में कोई हर्ज नहीं। पेट कई बार पेटू भी हो जाता है। तब वह अपना कर्त्तव्य भूल जाता है। इसे वैसा मत बनने दो।

अच्छी सरकार, अपने कर्त्तव्य को समझने वाली सरकार, लोकतंत्री सरकार जनता की मालिक नहीं, नौकर होती है। सचमुच नौकर होती है। उसके पास जो शक्ति होती है, वह जनता से ही आती है और वह उस शक्ति को जनता के लिए ही खर्च भी करती है। ज़रूरत इस बात है कि यह जनता रूपी मालिक ज़रा चौकन्ना रहे, सरकार को फिजूल खर्चा न करने

दे। ऐसा न हो कि सरकार जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को अफसरों और बाबुओं की तनखाहों पर ही खर्च कर दे और जनता की भलाई—सुख-सुविधा के काम न करे।

इसलिये अच्छे नागरिक का कर्त्तव्य टैक्स दे देने भर से पूरा नहीं हो जाता; उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार उस पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल करे।

४. वोट देने के अधिकार का उपयोग

लोकतंत्री सरकार में वोट देने का अधिकार और इस अधिकार का उपयोग—इन दो बातों का बहुत बड़ा महत्त्व है। इस बात को हम और अच्छी तरह समझ लें। हमारी सरकार इसलिए लोकतंत्री है कि हमारे संविधान में सभी बालिग नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इस अधिकार की नींव पर ही लोकतंत्र का सारा महल खड़ा है। इसी से इस अधिकार का महत्त्व आप समझ सकते हैं। जब कहते हैं कि **जनता द्वारा बनाई हुई सरकार**, तो उसका यही मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा से चुनकर अपने प्रतिनिधि पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी, प्रदेश की सरकार तथा केंद्र की सरकार में भेजते हैं।

जब हम कहते हैं कि **जनता की सरकार**, तो हमारा मतलब होता है कि मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, कानून बनाने वाली प्रदेश या केंद्र की सभा—सभी जगह जनता के आदमी होते हैं। हमी में से तो वे लोग होते हैं। हमीं उन्हें चुनकर भेजते हैं।

और जब हम कहते हैं कि **जनता के लिए सरकार**, तो हमारा मतलब होता है कि यह जनता द्वारा, जनता की सरकार बनाई गई है। इसका काम है, जनता की सेवा करना। अर्थात् यह सरकार किसी राजा, रानी या बादशाह अथवा तानाशाह की सेवा करने के लिए नहीं है।

यह वोट का अधिकार ही है, जो हमारी सरकार को लोकतंत्री बनाता है।

ठीक है। हमारे संविधान में सभी बालिगों को वोट का अधिकार दिया गया है और हमारी सरकार लोकतंत्री है। पर इतना कुछ होने से बात पूरी नहीं हो जाती।

सच तो यह है कि काम की बात अब शुरू होती है। अभी तक तो बात की बात थी।

तो काम की बात यह है कि हम अपने इस वोट देने के अधिकार का उपयोग कितनी समझदारी से करते हैं। पेटी में वोट डाल भर देने से सच्ची लोक-

तंत्री सरकार नहीं बनेगी।

वोट डालने से पहले जो हमने यह फैसला किया कि इस व्यक्ति को वोट देंगे—यही बात महत्त्वपूर्ण है। जिस आदमी को वोट दे रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं, उसके हाथ में हम बहुत बड़ी ताकत दे रहे हैं। आगे चलकर हमारे प्रतितिधि के रूप में उसे कितने ही काम करने हैं। वह इस शक्ति का उपयोग किस ढंग से करेगा ? सेवा के लिए करेगा या स्वार्थ के लिए ? वह वोट देने वाले की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा या नहीं ? उस व्यक्ति में सचाई, ईमानदारी और सेवा-भाव कितना है ? सूझ-बूझ और समझ कितनी है ? इतनी बातें आपको वोट देने से पहले सोचनी होंगी। लोकतंत्र की सफलता का भेद बस इसी एक बात में छिपा है कि हम—जो वोट देने वाले हैं—कितने समझदार हैं। हमें अच्छे-बुरे आदमी की पहचान भी है या नहीं।

जैसे आदमी हम चुनकर भेजेंगे, हमें वैसी ही सरकार मिलेगी। अच्छे भेजेंगे तो अच्छी, बुरे भेजेंगे तो बुरी।

अब इस देश में किसी खास जाति, धर्म या सम्प्रदाय के लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था

नहीं है। संविधान की नज़र में सब समान हैं और सब के अधिकार भी एक-से हैं। इस लिए वोट देते समय इस ढंग से सोचना तंगदिली है। इससे गुटबंदी बढ़ती है। जब एक गुट के लोग इस तरह सोचने लगते हैं तो दूसरे लोग भी इसी राह पर लुढ़क पड़ते हैं और सारा समाज छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। गुट-बंदी के कारण लोग अपने गुट के लोगों के बुरे कामों की भी हिमायत करते हैं और दूसरे गुट के अच्छे कामों को भी बुरा कहते रहते हैं।

तो लोकतंत्र का आधार है वोट का अधिकार और लोकतंत्र की सफलता का आधार है वोट का समझ-दारी के साथ उपयोग।

५. जनता की सेवा के लिए तत्परता

अच्छे नागरिक का एक गुण यह भी होता है कि वह जनता की सेवा करने से पीछे नहीं हटता। कुछ लोग जो हर तरह से भले होते हैं, सार्वजनिक सेवा की जिम्मेदारियों से दूर रहते हैं। उनका विचार होता है कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कीचड़ ही कीचड़ है। इसलिए इससे दूर ही रहना चाहिये। उदाहरण के लिए—पंचायत के प्रधान का चुनाव है। श्री रामदास

जी बुज़ुर्ग आदमी हैं। गाँव के लोग उनकी इज्ज़त करते हैं। वे पढ़े-लिखे और न्याय की बात करने वाले हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि रामदास जी प्रधान बनें। पर रामदास जी मानते ही नहीं। उनका कहना है—मैं तो न्याय की कहूंगा। और जिस किसी की भी मनमर्ज़ी का न्याय नहीं होगा, वही बैरी बन जाएगा। इसलिए मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है।

दूसरी ओर दौलतराम हैं। बड़े तिकड़मी आदमी हैं। घर-घर में चक्कर लगा रहे हैं और काफी लोग उन्हीं को प्रधान पद के लिए वोट दें, इसके लिए यत्न कर रहे हैं। लोग मन से उन्हें प्रधान बनाना नहीं चाहते पर मुंह पर साफ-साफ कहते भी नहीं। वे जानते हैं कि ये तो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली वाला न्याय करेंगे।

पर रामदास जी नहीं मानते, इस कारण दौलतराम पंचायत-प्रधान बन जाते हैं। अब उनसे सारा गांव दुःखी है। अब रामदास जी भी सोचते हैं कि इससे तो अच्छा होता कि मैं ही उस समय मान जाता।

जब अच्छे लोग इस क्षेत्र में आगे नहीं आते तो गंदे लोग घुस आते हैं और सारे समाज में गंदगी फैलाते हैं। इसीलिए अच्छे नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह सार्वजनिक सेवा के कामों में भी पीछे न रहे।

अच्छा नागरिक कौन ?

नागरिक के अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में आपने जान लिया। पर जान लेने भर से तो कोई अच्छा नागरिक नहीं बन जाता। 'भोजन करने से भूख मिटती है' इतना जान लेने भर से भूख मिटेगी नहीं। भोजन करना होगा, तभी भूख मिटेगी।

उसी प्रकार अधिकारों का उपयोग करना होगा और कर्त्तव्यों को निभाना होगा। ज्ञान के साथ जब तक कर्म नहीं मिलता, कुछ होता-जाता नहीं—कोरा ज्ञान बेकार है। हमें अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से दिखाना होगा कि हम अच्छे नागरिक हैं।

अब हमें यह देखना है कि अच्छे नागरिक का व्यवहार, उसके कार्य, उसका आचरण कैसा होता है? या हम यों कह सकते हैं कि हम अच्छे नागरिक से किस प्रकार के कार्य-व्यवहार की आशा करते हैं?

लोकतंत्र में आस्था रखने वाला एक अच्छा नागरिक अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति सचेत रहता है। वह अधिकाररूप में **प्राप्त करने के लिए** ही नहीं,

कर्त्तव्य रूप में **देने के लिए** भी सदा तैयार रहता है। 'इस हाथ दे, उस हाथ ले' वाली बात है। इसी भाव को 'जियो और जीने दो' में भी प्रकट किया गया है। हमें जीने का अधिकार है और दूसरों को भी जीने देना हमारा कर्त्तव्य है।

अच्छा नागरिक—

…**दूसरे नागरिकों के महत्व को स्वीकार करता है**। अर्थात् उनके विचार, विश्वास, आस्था, और बोलने की स्वतंत्रता का सम्मान करता है।

…**दूसरों के जीवन, और संपत्ति का सम्मान करता है**। अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए दूसरों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा ज़रूरी है। नहीं तो किसी का भी जीवन और संपत्ति खतरे में पड़ जाएंगे।

…**जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है**। ज़िम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, सामाजिक हो या राजनैतिक, उसे संभालने, संभालकर पूरी तरह निभाने और उसके बदले में कुछ न चाहने की उसकी आदत होती है।

…**दूसरों से लगाव रखता है**। वह मन्थरा की तरह नहीं सोचता कि 'कोउ नृप होऊ, हमें का हानि'।

वह केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होता। उसे दूसरों की उन्नति में भी अपनी उन्नति दिखाई देती है। वह अच्छे का समर्थन और बुरे का विरोध करता है।

…**खुले दिमाग का होता है।** वह अपने दिमाग की खिड़कियों को ताज़ी हवा आने के लिए खुली रखता है। वह नये विचारों का स्वागत करता है। वह कट्टर परंपरावादी नहीं होता। वह ऐसा नहीं सोचता कि मैं ही ठीक हूं। बाकी सारे गलत हैं।

…**सहयोग में विश्वास रखता है।** उसमें मिल-जुलकर काम करने का गुण होता है। बहुजनहिताय (बहुतों के हित के लिए) और बहुजनसुखाय (बहुतों के सुख के लिए) होने वाले कामों में वह अपना पूरा-पूरा सहयोग देता है।

…**जैसा सोचता है, वैसा करता है।** उसके मन, वाणी और कर्म में एकरूपता होती है। वह जो कुछ मन में सोचता है, वैसा ही ज़बान से कहता है। और जो कुछ कहता है, वहा करता भो है।

…**अनुशासन को मानता है।** वह अनुशासन को प्यार करता है। वह खुद अनुशासन में रहता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को अनुशासन में

रख सकता है।

...**समय का पाबंद होता है।** वह अपने काम को निश्चित समय पर करता है। जहां उसे दस बजे पहुंचना चाहिये, वहां वह ठीक दस बजे ही पहुंचता है। सवा दस या साढ़े दस नहीं। उसे सौंपे गए काम को, वह निश्चित समय तक पूरा करता है।

...**सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करता है।** वह सार्वजनिक संपत्ति को, जिसे हम अक्सर सरकारी माल कहते हैं, न केवल हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि जहां तक हो सकता है, उसका उपयोग इस ढंग से करता है कि वह खराब न हो। वह इसे दूसरों को भी हानि पहुंचाने नहीं देता।

...**दूसरे के मत का सम्मान करता है।** यह लोकतंत्री जीवन और व्यवहार की कसौटी है। अच्छा नागरिक दूसरों के विचारों, विश्वासों और मान्यताओं के प्रति सहनशील होता है।

संकटकाल में अच्छे नागरिक के कर्त्तव्य

●

एक अच्छा नागरिक अपने कर्त्तव्यों का भली भांति पालन करता हुआ, अपने अधिकारों—सुख-सुविधाओं—का उपयोग करता है। यह साधारण स्थिति की बात है। पर जब देश पर कोई संकट आ जाता है, तब उसे क्या करना होगा ? तब एक अच्छे नागरिक के कर्त्तव्य क्या होंगे ?

आज हमारा देश संकटकाल से गुज़र रहा है। हमारी स्वतंत्रता, हमारा सम्मान, हमारी प्रभुसत्ता और हमारी अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ चीन की चुनौती है। दूसरी तरफ पाक के नापाक इरादे हैं। हमारी इस पवित्र मातृभूमि को शत्रु हथियाना चाह रहा है।

इस बदली हुई हालत में हमारे अधिकारों और कर्त्तव्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

जब कभी किसी देश पर संकट आता है तो

सरकारी तौर पर यह घोषणा कर दी जाती है कि देश पर संकट है। यह घोषणा इसलिए की जाती है कि देश सावधान हो जाए और खतरे का सामना करने के लिए कमर कसकर उठ खड़ा हो। कुछ लोगों का यह ख्याल होता है कि दुश्मन से मुकाबला करने का काम फौजों का है। यह बहुत ही गलत ख्याल है। ऐसे सोचना देश का बुरा सोचना है। यह सोचना भी भूल होगी कि लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर लड़ी जाती है। न, यह बात नहीं है। इस लड़ाई के दो रूप होते हैं। एक तो वह जो मोर्चे पर दिखाई देता है। आमने-सामने की लड़ाई में। यह बंदूक, तोप, टैंक और हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ से लड़ी जाती है।

और दूसरी लड़ाई ? यह खेतों में, कारखानों में, दफ्तरों में, और हर उस जगह लड़ी जाती है, जहां देश की उन्नति के लिए काम होता है। इस लड़ाई में देश का बच्चा-बच्चा भाग लेता है। जो जहां भी है, वहीं वह अपने काम को बढ़िया से बढ़िया ढंग से करके, ज्यादा से ज्यादा करके, इस लड़ाई को जीतने में मदद करता है। इस लड़ाई के इतने प्रकार होते हैं कि उन्हें विस्तार से बता सकना यहां संभव नहीं है।

जो छात्र स्कूलों-कालेजों में पढ़ते हैं, वे वहां

अपना ज्ञान बढ़ाकर, अनुशासन सीखकर और सैनिक शिक्षा लेकर इस लड़ाई को जीतने में सहयोग देते हैं।

जो कारखानों में काम करते हैं, वे लड़ाई की ज़रूरतों और देशवासियों की घरेलू ज़रूरतों का सामान तैयार करके, देश का उत्पादन बढ़ाते हैं और देश को अपनी ज़रूरतें अपने ही यहां पूरा करने में मदद करके, इस लड़ाई को जीतने में मदद करते हैं। जो खेतों में काम करते हैं, वे तरह-तरह की फसलें उगाकर देश के अन्न-भंडार को भरते हैं और जवानों और नागरिकों को अच्छा भोजन देकर, इस लड़ाई में जीत को आसान बनाते हैं।

माताएं पुत्रों का, पत्नियां पतियों का और बहनें भाइयों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें कर्त्तव्य के लिए तैयार करके मदद करती हैं। ऐसे मौके पर वे भावना से कर्त्तव्य को ज्यादा महत्व देकर, निजी स्नेह और प्रेम से देश की रक्षा को ज्यादा महत्व देकर बहुत बड़ी मदद करती हैं।

संकटकाल में सरकार के अधिकार बहुत बढ़ जाते हैं और नागरिकों के मूल अधिकार भी एक तरह से समाप्त हो जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है। आम हालत में और संकटकाल में एक जैसी बात कैसे

हो सकती है ! और फिर सरकार को यह अधिकार हमने अपनी इच्छा से सोच-समझकर ही तो दे रखे हैं। संसद में हमारे भेजे प्रतिनिधियों ने ही तो इसकी स्वीकृति दी है। यह देश हित के लिए ही किया गया है। इसी में हमारा हित है।

संकटकाल में गैर ज़िम्मेदारी की बात करना, या अफवाह फैलाना गुनाह हो जाता है। यह बिल्कुल ठीक बात है। एक अफवाह भी कई बार सारे देश के जीवन के लिए खतरा बन जाती है। एक बार लड़ाई के मोर्चे पर दुश्मन के जासूसों ने किसी तरह अफवाह फैलाई कि राशन खत्म हो गया है। पीछे से आने के रास्ते बंद हैं। बात मोर्चे पर लड़ने वाले सभी सिपाहियों में फैल गई। वे हिम्मत हारकर बैठ गए। लड़ाई का उनका जोश ठंडा पड़ गया। उधर दुश्मन ने ज़ोरदार हमला कर दिया। ये हार गए। दुश्मन जीत गया। एक अफवाह ने कितना असर किया ! इसलिए संकट-काल में कच्ची, सुनी-सुनाई, नागरिकों और सैनिकों के उत्साह को कम करने वाली बातें बिलकुल नहीं करनी चाहिएं।

सुरक्षा की तैयारी को हानि पहुंचाने वाले, उसके विरुद्ध बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकार नज़र-

बंद कर सकती है, कैद कर सकती है।

किसी भी व्यक्ति के मकान या ज़मीन को सरकार ज़बर्दस्ती ले सकती है। मान लीजिये कि किसी आदमी का एक कारखाना है। सरकार फौजी ज़रूरत का कोई सामान बनवाना चाहती है। सरकार उस कारखाने के दूसरे काम को रोककर इस समान को तैयार कर सकती है। या सरकार फौजों के काम आने वाला सामान तैयार करने वाले कारखाने को कह सकती है कि यह सारा सामान सरकार खरीदेगी। इसे बाज़ार में नहीं बेच सकते। सरकार चीज़ों के खरीदने-बेचने पर पाबंदी लगा सकती है। कंट्रोल कर सकती है। सरकार जवानों की भरती का ऐलान कर सकती है। मोटे-तौर पर यह समझ लीजिये कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार जो चाहे कर सकती है।

पर समझदार नागरिक ऐसे मौके पर इन सब बातों को खुशी-खुशी स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि जो किया जा रहा है, देश की रक्षा के लिए ज़रूरी है। और देश की रक्षा के लिए उसे चाहे जो भी कष्ट उठाना पड़े, वह तैयार रहता है।

संकटकाल में नागरिक पर जो नई ज़िम्मेदारियां आ पड़ती हैं, उन पर भी विचार कर लें।

एक मुहावरा है : इस काम को युद्ध-स्तर पर करना होगा। युद्ध-स्तर पर माने तेज़ी से। शांतिकाल का ढीलापन इसमें नहीं चलेगा। युद्ध-काल में हर काम में तेज़ी आती है, हर बात में तेज़ी दिखाई देती है। वर्षों का काम महीनों में होता है।

इसलिए ज्यादा काम करना होता है। सभी तरह की पैदावार—खेती की, कारखाने की, बढ़ानी होती है।

जो कारखाने हमारी प्रतिदिन की ज़रूरतों की चीज़ें बनाते थे, उन्हें लड़ाई का सामान बनाना होता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होता है कि कम खर्च करे और पहले से ज्यादा बचत करे।

समझदार नागरिक अफवाहों में दिलचस्पी तो लेता ही नहीं, वह यह भी ध्यान रखता है कि दूसरे अफवाहें न फैलाएं। कई बार सरकार दुश्मन के देश का रेडियो सुनने पर पाबंदी लगा देती है। ऐसी पाबंदी का खुशी से पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। यह पाबंदी इसीलिए लगाई जाती है कि शत्रुदेश, रेडियो पर झूठा प्रचार करके दूसरे देश में फूट डालने, हिम्मत को पस्त करने वाली झूठी खबरें, अफवाहें आदि फैलाता है।

अपने नैतिक बल और अन्य नागरिकों के नैतिक

बल को बढ़ाने का प्रयत्न हर अच्छा नागरिक करता है।

और कितने ही छोटे-मोटे काम होते हैं : जैसे सरकार कहती है कि रात को भीतर की रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए। बचाव के लिए खंदकें खोदनी चाहिए, गृहरक्षक दल में भर्ती होना चाहिए। प्राथमिक सहायता का कार्य सीखना चाहिए। हवाई हमले से बचाव के लिए अमुक-अमुक उपाय करने चाहिए। ये और इसी तरह की कितनी ही बातें हो सकती हैं। इन सब को करने, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।

विश्व-परिवार

●

साधारणतया परिवार के नाम से हम अपने घर के लोगों को ही पुकारते हैं। घर का परिवार सबसे छोटा परिवार है। फिर स्कूल में जाते हैं। वह भी बड़ा परिवार ही है। हम अपने जीवन के बहुत-से पाठ घर और स्कूल में ही सीखते हैं। फिर धीरे-धीरे परिवार का यह घेरा बड़ा होता जाता है। हम अपने गांव, कस्बे या नगर-भर को अपना ही समझने लगते हैं। उसके सुख-दुःख के साथ अपने सुख-दुःख जोड़ लेते हैं। फिर ज़िला, प्रदेश और देश आता है। दायरा बढ़ता जाता है। हम अपना विस्तार करते जाते हैं। और एक दिन यह घेरा इतना बढ़ जाता है कि सारी मनुष्य-जाति इस घेरे के भीतर आ जाती है। हम सारे विश्व को अपना परिवार समझने लगते हैं। किसी देश में भूचाल आता है, बाढ़ आती है या तूफान आता है। हज़ारों लोग मर जाते हैं। कितने ही बेघर-बार हो जाते हैं। हम रेडियो पर सुनते या अखबार में पढ़ते हैं। हमारा मन उनके दुख से दुखी हो उठता

है। कोई एक देश किसी दूसरे देश के लोगों की स्वतंत्रता को छीनता है। निश्चित रूप से हमारी सहानुभूति परतंत्र देश के साथ होगी। इससे स्पष्ट है कि मानवता पर जहां कहीं भी संकट आता है, फिर यह संकट चाहे प्राकृतिक हो या मनुष्य-कृत, संकटग्रस्त लोगों से हमें सहानुभूति होगी।

इसी प्रकार परिवार में जब कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो परिवार के बड़े-बूढ़े उसे शांत करते हैं। फिर यही काम पंचायतें और कचहरियां करती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और जब यह झगड़ा देशों के बीच होता है तो दुनिया भर की बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ इसका फैसला करती है।

आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसे दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता न हो। अपने ही देश को ले लीजिये। हम करोड़ों का माल दूसरे देशों से खरीदते हैं और करोड़ों का दूसरे देशों को बेचते हैं। इस प्रकार आपसी सहयोग से ही एक-दूसरे का काम चलता है।

आज आने-जाने के तेज़ उड़ने और दौड़ने वाले साधनों के कारण दुनिया सिमटकर बहुत छोटी हो गई है। सुख-दुःख भी बहुत कुछ सांझे से हो गए है। विश्व-शांति की समस्या, एटम बम आदि शस्त्रों पर

रोक लगाने की समस्या, पिछड़े देशों की समस्या, भूख और शिक्षा की समस्या—ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए सभी देश चिंतित हैं।

हमारे संविधान में, देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए पंच-फैसले द्वारा निबटाने की बात का उल्लेख है।

इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश की परंपरा, जीवन के प्रति सोचने-विचारने का ढंग, हमारा विचार और विश्वास सदा से मानव-मात्र के कल्याण की भावना का रहा है। एक भारतीय विद्वान् ने कहा है—

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

यह अपना है और यह पराया—इस तरह की बात छोटे दिल वाले लोग सोचा करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुम्ब है। एक और श्लोक है, जिसे प्रायः बोला जाता है:

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवेत्॥

सब सुखी हों, सब दुःखरहित हों। सब अच्छा देखें। किसी को दुःख न हो।

●●●